तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज किशनलाल/राज.सरकार
27/02/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 12/03/26 को पेश हो।
12/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 16/3/26 को पेश हो।
16/3/26	पत्रावली पेश हुई। अर्जी० प्रार्थी उपस्थित। उपखंड से रिपोर्ट प्राप्त शामिल मि० है। अर्जी० प्रार्थी ने स्वयं प्र० पत्र ~~[illegible]~~ मय धारा 151 प्र० पेश किया शामिल मि० है। अर्जी० प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/3/26 को पेश हो। पुनश्च: अर्जी० प्रार्थी ने किशनलाल पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण निवासी सिकरौदा का शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/3/26 को पेश हो।
19/3/26	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 23/3/26 को पेश हो।
23/3/26	पत्रावली पेश हुई। अर्जी० प्रार्थी उपस्थित। प्र० पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय प्रवाद के निरस्तगी बाबत शामिल मि० है। पत्रावली के सम्बन्ध अनुसार ही नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 31 / 2023

1. विशनलाल पुत्र रामचरन कौम ब्राह्मण निवासी ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राजस्थान हाल निवासी ए. 87 रणजीत नगर भरतपुर जिला भरतपुर। .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0।
2. मुलचन्द पुत्र रामचरन जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए

उपस्थिति

1. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोक़ेट

निर्णय दिनांकः—23.03.2026

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 408 करवा 1.06है0 बाके ग्राम सिकरौदा पटवार हल्का बारहमाफी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर में स्थित है। उक्त आराजी सैटलमेंन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 182 रकवा 13.02 बीघा थी जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने गलत रूप से प्रार्थी से छिपाकर बटवारा करा लिया जिसमें प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 581 / 182 आया और अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में 580 / 182 आया किन्तु राजस्व नक़्शे में उक्त खसरा नम्बर 182 में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं की गई प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपने—अपने हिस्से के मुताबिक अपनी—अपनी आराजीयों पर काश्त करते रहे किन्तु सैटिलमेंन्ट विभाग द्वारा नक्शा बन्दोबस्त करते समय उक्त आराजी के तीन हिस्से कर दिये गये जिनमें खसरा नम्बर 408 में प्रार्थी 401 व 408 / 799 अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में दर्शा दिया गया है जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 182 में तरफ पूर्व प्रार्थी का कब्जा काश्त है उक्त आराजी पर न्यायालय सहायक कलैक्टर उच्चैन के प्रकरण संख्या 40 / 2019 में स्थगन आदेश भी जारी है फिर भी सैटिलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 182 की गलत तरमीम कर दी गई है। जो खिलाफ मौका व कानून के है। उक्त तरमीम के कायम रहने से पक्षकारों के मध्य विवाद बढने व झगडा होने की संभाबना है। प्रार्थी ने दिनांक 20.05.2022 को तहसीलदार उच्चैन से नक्शे में हुये गलत इन्द्राज को शुद्ध करने का निवेदन किया तो तहसीलदार उच्चैन ने उक्त गलत इन्द्राज को शुद्ध करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बाबजूद प्रोपर तामील हाजिर अदालत नहीं आये इसलिए इनके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

दिनांक 03.07.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने दिनांक 24.10.2025 को जवाब पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम सिकरौदा की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06है0 विशनलाल पुत्र रामचरन कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है जिसका साविक(पुराना खसरा नम्बर) ख.नं. 581/182 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा है। ग्राम सिकरौदा की जमाबंदी संवत् 2075–78 में खसरा नम्बर 401 रकबा 0.55है0 ख.नं. 408/799 रकबा 0.51है0 मूलचन्द पुत्र रामचरन कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। जिसका साविक (पुराना खसरा नम्बर) 580/182 रकबा 6 बीघा 11 विस्वा है। पुराने नक्शे लट्ठे में खसरा नम्बर 581/182 तथा 580/182 की कोई तरमीम नहीं है। जबकि नये सेटलमेन्ट नक्शे में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा 581/182 का नया ख.नं. 408 तथा 580/182 का 401 तथा 408/799 नया खसरा नम्बर बनाया गया है। विन्दू संख्या 1 व 2 में वर्णित खसरा नम्बर 408 रकबा 1.06है0 विशनलाल तथा खसरा नम्बर 401 रकबा 0.55है0 ख.नं. 408/799 रकबा 0.51है0 मूलचन्द, साविक खसरा नम्बर 182 रकबा 13–02बीघा सैटलमेन्ट विभाग द्वारा तैयार किये गये है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर मौके पर कब्जे के सम्बन्ध में शपथ पत्र पेश किया है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि उक्त विवादित का सैटलमेंन्ट से पूर्व साविक खसरा नम्बर 182 रकबा 13.02 बीघा जिसका अप्रार्थी संख्या 2 ने गलत रूप से प्रार्थी से छिपाकर बटवारा करा लिया जिसमें प्रार्थी के हिस्से में खसरा नम्बर 581/182 आया और अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में 580/182 आया किन्तु राजस्व नक्शे में उक्त खसरा नम्बर 182 में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं की गई प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 अपने–अपने हिस्से के मुताबिक अपनी–अपनी आराजीयों पर काश्त करते रहे किन्तु सैटिलमेंन्ट विभाग द्वारा नक्शा बन्दोबस्त करते समय उक्त आराजी के तीन हिस्से कर दिये गये जिनमें खसरा नम्बर 408 में प्रार्थी 401 व 408/799 अप्रार्थी संख्या 2 के हिस्से में दर्शाया गया है जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 182 में तरफ पूर्व प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुताबिक मौका एवं कब्जा नक्शे में तरफ पूर्व प्रार्थी के खसरा नम्बर 408/1.06है0 तथा इसके तरफ पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 2 मूलचंद के खसरा नम्बर 401/0.55, 408/799/0.51है0 को तरमीम कर शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र जबाव तहसीलदार उच्चैन एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

1. उक्त विवादित आराजी का सैटलमेंन्ट पूर्व एक ही खसरा नम्बर 182 रकबा 13 बीघा 02 विस्वा था जिसके की राजस्व विभाग द्वारा दो नवीन नम्बर 580/182 एवं 581/182 बनाये गये जिनकी राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम के कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
2. न्यायालय सहायक कलक्टर बयाना के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.09.1992 के आधार पर राजस्व नक्शे में तरमीम का कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम सिकरौदा तहसील रूपवास के गिरदावरी सम्बत् 2072 से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 580/182 पर मूलचन्द की कब्जा काश्त थी एवं खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

581/182 पर विशनलाल की कब्जा काश्त थी। उक्त खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शे में तरमीम के कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

4. पुराने खसरा नम्बरान की राजस्व नक्शे में किसी भी प्रकार की तरमीम नहीं की गई परन्तु वर्तमान सैंटलमेंन्ट के दौरान अप्रार्थी संख्या 2 गूलचंद के खसरा नम्बर 580/182 को दो हिस्सों खसरा नम्बर 408/799 एवं 401 में तोडकर उनके मध्य प्रार्थी के खसरा नम्बर 581/182 से बनाये गये नये खसरा नम्बर 408 की तरमीम कर दी गई है। उक्त वर्तमान तरमीम किस आदेश/ निर्णय से हुई इसका कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

5. वर्तमान में नवीन सैंटलमेंन्ट के दौरान उक्त विवादित आराजी के दो के स्थान पर तीन खसरे बनाए गए और एक काश्तकार की एक ही जोत के दो टुकडे हुये एवं दोनों टुकडों की राजस्व नक्शे में विपरित दिशा में तरमीम कर दी गई एवं दूसरे काश्तकार की आराजी की तरमीन उन दोनों टुकडों के मध्य कर दी गई है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 एवं 49 जो कि जोतों के एकीकरण(consolidation) से संबंधित है की भावनाओं के विपरीत है।

6. अप्रार्थी संख्या 2 उक्त प्रकरण में बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा कोई भी जबाव, तथ्य, दस्ताबेज अपने पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 408/1.06है0,401/0.55, 408/799/0.51है0 बाके ग्राम सिकरौदा तहसील उच्चैन की तरमीम राजस्व नक्शे में निम्नानुसार की जाकर शुद्धि की जावे।

1. पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 408/1.06है0 की तरमीम राजस्व नक्शे में की जाकर नक्शे में शुद्धि की जावे।
2. तत्पश्चात खसरा नम्बर 401/0.55 एवं खसरा नम्बर 408/1.06 के मध्य खसरा नम्बर 408/799/0.51है0 की तरमीम नक्शे में की जाकर नक्शे मे शुद्धि की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया(आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)